रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 474] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 1983/कार्तिक 3, 1905
No. 474] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 1983/KARTIKA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

आदेश सं. : 32/83.

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1983

सि. सं. 1/2/आरईपी/74-ईपीसी(वा.-10).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते

हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस आदेश सं. 17/83, दिनांक 15 अप्रैल, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

कंडिका-1 में वर्तमान विवरण "और (7) फालतू पुर्जे" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"(7) मैटीरियल हैंडलिंग उपस्कर जैसे फार्क लिफ्टरा, ओवर हेड क्रेन और भवन निर्माण संबंधी सामान और (8) फालतू पुर्जे ।"

प्रकाश चंद जैन, मख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

ORDER NO. 32|83

New Delhi, the 25th October, 1983

F. No. 1|2|REP|74-EPC (Vol. X).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendment to OGL Order No. 17|83 dated the 15th April, 1983 :—

For the existing description "and (vii) spares" in para 1, the following shall be substituted :—

"(vii) material handling equipment such as fork lifts, over-head cranes, and building construction materials, and (viii) spares".

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983